

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:- 00202/2019/223

1. गुलाब देवी पत्नि किशनलाल कुम्हार, निवासी खसरा संख्या 297, खसरा संख्या 296, ग्राम मदनगंज, रेल्वे लाईन के पास, बृज विहार कॉलोनी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांत

बनाम

1. नगर परिषद, किशनगढ़ जरिये आयुक्त, नगर परिषद, किशनगढ़ जिला अजमेर ।
2. नगर परिषद, किशनगढ़, जरिये सभापति, नगर परिषद, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस



अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध विरुद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 04.06.2019 अंतर्गत वाद संख्या 166/2019.

उपस्थित:-

1. श्री शिवा पंवार, वकील अपीलांत ।
2. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2.
3. श्री विकाश पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेंट संख्या 3.

निर्णय

दिनांक:- 3.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादिया/अपीलांत ने अधीन न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजकाश्त अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट पेश कर कथन किया कि वादिया/अपीलांत द्वारा ग्राम मदनगंज पटवार हल्का मदनगंज में अवस्थित खातेदारी की भूमि खाता संख्या 300 खसरा संख्या 189 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 13.1.1991 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के पदम कंवर बेवा श्यामसिंह जाति महाजन, निवासी ओसवाली मौहल्ला किशनगढ़ से कय की थी । उक्त वर्णित आराजी भूमि खातेदारी पर वादिया का ही पंजीयन के पूर्व से ही कब्जा काश्त चला आ रहा था । उक्त खातेदारी भूमि का नामांतकरण दिनांक 4.5.1991 को विक्रेता पदम कंवर बेवा श्यामसिंह कौम महाजन के स्थान पर वादिया का नामांतकरण पंजिका में संख्या 198 में दर्ज किया गया । संवत् 2027 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार एकीकरण में खसरा संख्या 189 कुल रकबा 81 बीघा 4 बिस्वा के खसरा संख्या 296 रकबा 7 बीघा, 297 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा, 297/2759 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, 297/2760 रकबा

(Handwritten Signature)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
अजमेर

5 बीघा, 297/2762 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा, 297/2763 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा, 297/2764 रकबा 20 बीघा बने है । उक्त मिलान क्षेत्रफल के अनुसार तथा संवत् 2027 से संवत् 2055 तक खतौनी जमाबंदी व गिरदावरी के अनुसार वादिया की उक्त आराजी भूमि को खसरा संख्या 297/1 में रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा रिकार्ड में अंकित किया गया । उक्त काश्त वादिया के विक्रय पत्र दिनांक 13.1.1981 के अनुसार चर्तुसीमा तथा कब्जे काश्त के अनुसार कुल 9 बीघा 4 बिस्वा में 7 बीघा खसरा संख्या 296 में तथा 2 बीघा 4 बिस्वा खसरा संख्या 297/1 में अवस्थित है जिसका अंकन वास्तविकता में शुद्ध रूप में राजस्व रिकार्ड जमाबंदी पी-15 गिरदावरी खतौनी में होना चाहिये था । उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में उक्त शुद्धीकरण के लिए वादिया दृज़ारा दिनांक 7.8.2001 को तहसीलदार, किशनगढ़ को प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर दिनांक 1.9.2001 को मौमा जांच रिपोर्ट वादिया तथा अन्य खातेदार की उपस्थिति में तैयार की गई जिसमें वादिया द्वारा खरीद के समय ही कुआं खुदवाया गया था तथा उक्त खसरे में ही वादिया के मकान बने हुए है । खसरा संख्या 296 सीलिंग में अवाप्त होने से बिलानाम दर्ज है जो कि वादिया की आराजी भूमि की विक्रेत्री पदम कंवर द्वारा विक्रय की गई कुल 9 बीघा 4 बिस्वा का ही भाग है । विक्रय पत्र में अंकित अड़ोस-पड़ोस के मध्य वर्तमान में खसरा संख्या 296 रकबा 7 बीघा व खसरा संख्या 297/1 की खसरा संख्या 296 की उत्तरी सीमा पर लगती हुई 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर वादिया गुलाब देवी काबिज है । विक्रय पत्र के अनुसार रिकार्ड में शुद्धि होना उचित है । उक्त मौका जांच रिपोर्ट को तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण होकर अंकन आज दिनांक तक नहीं हुआ है । इसके प्रतिकूल बिना वादिया को सरकार की ओर से नोटिस प्राप्त हुए तथा बिना सुनवाई के दिनांक 2.5.2002 को नामांतकरण संख्या 44 के अनुसार खसरा संख्या 297/1 में दर्शित 9 बीघा 4 बिस्वा में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आबादी नगर पालिका, किशनगढ़ में दर्ज कर दिया तथा शेष 4 बीघा 14 बिस्वा का अंकन वादिया के पक्ष में दर्ज कर दिया गया है । अतः वाद वादिया स्वीकार कर वादपत्र के पैरा संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित वादिया की खातेदारी भूमि का नामांतकरण संख्या 189 के अनुसार कुल 9 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से 7 बीघा की खातेदारी घोषणा शुद्धिकरण करके खसरा संख्या 296 ग्राम मदनगंज में की जावे तथा शेष 2 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी घोषणा खसरा संख्या 297/1 में शुद्धिकरण करने की, की जावे । वादपत्र में वर्णित नामांतकरण संख्या 44 दिनांक 2.5.2002 को शून्य घोषित किया जावे । खतौनी संख्या 726 खसरा संख्या 296 ग्राम मदनगंज में शुद्धिकरण करके वादिया के पक्ष में नामांतकरण दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी०न्याया० के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० पेश कर निवेदन किया कि वादी ने वादपत्र के पैरा संख्या 1 में स्पष्ट रूप से यह अनुतोष चाहा है कि वादपत्र के पैरा संख्या 1, 2 व 3 में वर्णित वादिया की खातेदारी भूमि का नामांतकरण संख्या 189 के अनुसार कुल 9-4-00 आराजी में से 7 बीघा की खातेदारी घोषणा शुद्धिकरण करके खसरा संख्या 296 ग्राम मदनगंज, तहसील किशनगढ़ में की जावे तथा शेष 2 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी घोषणा खसरा संख्या 297/1 में शुद्धिकरण की जावे । वादपत्र में वर्णित नामांतकरण संख्या 44 दिनांक 2.5.2002 को शून्य घोषित किया जावे । एवं खतौनी संख्या 726, खसरा संख्या 296 ग्राम मदनगंज में शुद्धिकरण करके वादिया के पक्ष में नामांतकरण दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे । वाद धारा 88 राज०काश्त०अधि० के तहत संस्थित किया गया है



W.P. -
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जो अपने आप में घोषणात्मक अनुतोष को इंगित करता है एवं राजस्थान नगर पालिका अधि० 2009 की धारा 304 के अधीन घोषणा का वाद संस्थान किये जाने के अनुक्रम में वाद संस्थान के पूर्व दो माह की समय अवधि का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है । अतः इसी परिपेक्ष्य में वादी का वाद विधि से त्रुटिग्रस्त है । वादिया का वाद में यह संस्वीकृत पहलू है कि उपरोक्त भूमि के बाबत् सीलिंग की कार्यवाही में अवाप्त होकर बिलानाम दर्ज है एवं सीलिंग के अधीन अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकूल अधिकार घोषणा का वाद अवधारणीय नहीं होता है । इस परिपेक्ष्य में भी स्वयं वादी के अभिवचन अनुसार वाद अनुतोष भूमि बाबत् वाद अवधारणीय नहीं है । ऐसी स्थिति में वादी का वाद विधिक रूप से अवधारणीय नहीं होकर विधिक रूप से बाधित होने से निरस्त किया जावे। अधी०न्याया० ने निर्णय दिनांक 4.6.2019 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार कर वादीया/अपीलांट का वाद खारिज किया । अधी०न्याया० के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । धारा 304 नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा (2) में स्पष्ट लिखा है कि वाद में अनुतोष पालिका के अधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध केवल व्यादेश से संबंधित हो तो अंतर्गत धारा 304 के तहत वाद संस्थान के पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है । वादिया द्वारा प्रस्तुत पत्र के पैरा संख्या 5 में स्पष्ट रूप से अभिचित किया गया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष मांगा गया है इसलिये वाद संलग्न के पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है । अधी०न्याया० ने उक्त विधि व तथ्य पर गौर नहीं कर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । घोषणात्मक काश्तकारी के लिए आदेशात्मक व्यादेश के लिए अनुतोष प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध मांगा है जिसके लिए जरिये राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाया गया है जिसके लिए वाद संस्थान के पूर्व में दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है जिसके धारा धारा 80 (2) जा०दी० के तहत प्रार्थना पत्र दो माह की छूट बाबत् वाद पत्र के साथ ही पेश किया गया था जिस पर अधी०न्याया० द्वज्जरा वाद संस्थान की अनुमति के संबंध में आदेश या उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई न करके विधि व तथ्य की भूल की है जिस पर वादिया को अपूर्तनीय क्षति कारित हुई है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है । बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत अभिवचन किया है कि उक्त आराजी सीलिंग में अवाप्त होने से उक्त वाद अवधारणीय नहीं है, जबकि उक्त वाद घोषणात्मक खातेदारी का प्रस्तुत किया है । वादपत्र के पैरा संख्या 2 में सीलिंग के कारण खुले नामांतरण संख्या 44 को शून्य घोषित किये जाने का अनुतोष मांगा गया है । इस प्रकार धारा 88 घोषणात्मक वाद के अंतर्गत नामांतरण को शून्य किये जाने की लिए अनुतोष मांगा जा सकता है । सीलिंग में अवाप्त होने से बिलानाम नामांतरण को शून्य किये जाने बाबत् उक्त वाद में मांगा अनुतोष पोषणीय है । इस विधि व तथ्य को नजरअंदाज कर अधी०न्याया० ने वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । वाद खसरा संख्या के शुद्धिकरण के संबंध में है जिसके लिए आदेशात्मक व्यादेश के साथ खातेदारी घोषणा का भी अनुतोष विधिक प्रावधानों के तहत मांगा जाता है जिसके लिए आवश्यक उपबंध है । दिनांक 4.5.1981 को जरिये विक्रय पत्र द्वारा खुला नामांतरण संख्या 198 आदेश खसरा संख्या 189 में कुल 9 बीघा



अधीनस्थ न्यायालय
अजमेर

4 बिस्वा भूमि कब्जे काश्त आराजी भूमि अवाप्ति के आदेश के पूर्व का था जिससे उक्त अवाप्ति आदेश वादिया के सीलिंग अवाप्ति बेअसर व शून्य है । कब्जे काश्त की भूमि सीलिंग से प्रभावित है न ही सीलिंग में आती है। अधी०न्याया० को प्रार्थना पत्र को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी०न्याया० ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० के तहत वाद को खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 व 2 ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है कि वादिया खसरा संख्या 297/1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा की खातेदार थी, जिसमें से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि का गैर कृषिक विधियां प्रभाव में आने के पश्चात् उपरोक्त भूमि का गैर कृषिक उपयोग किये जाने के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त खातेदार के खातेदारी अधिकार निरसित किये एवं शेष 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 297/1 से उपरोक्त वादिया के खातेदारी में आज भी दर्ज है एवं इस परिपेक्ष्य में अधी०न्याया० के समक्ष संस्थित वाद प्रथमदृष्टया ही केवल मात्र सरकारी भूमि को हड़प करने की गरज से संस्थित होना प्रमाणित होता है । यह कथन अत्यंत असदभाविक है कि जब पूरा खसरा संख्या 297/1 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा उपरोक्त अपीलांट के नाम दर्ज है, जिसमें से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् अपीलांट के खातेदारी अधिकारों का व्यपगत होने के पश्चात् शेष भूमि उसके नाम खातेदारी में रही एवं उपरोक्त भूमि का उपयोग होने के पश्चात् पास की सिवायचक भूमि को अपीलांट ने स्वयं की होना दर्शाया है जबकि प्रस्तुत अपील से स्पष्ट है कि अपीलांट के पुत्र विजय पर ही यह आक्षेप है कि, उसने खसरा संख्या 297/1 के भूखण्डों का व्ययन किया है । विधायिका कभी भी विधिक प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रकार के अविधिक वादों को प्रभावी नहीं मानती है एवं ऐसे वाद Nib of the whom ही shot down किये जाने के बाबत् विधिक प्रावधान है । इस पहलू को न्यायालय द्वारा अपील के निस्तारण के समय दृष्टिगत किया जाना सुसंगत रहेगा । अधी०न्याया० में वाद संस्थान का दुराशयपूर्ण वाद यह है कि क्योंकि खसरा नंबर 296 नगर परिषद को अन्तरित होकर मौके पर रिक्त है एवं वादिया द्वारा स्वयं के नाम धारित खसरा संख्या 297/1 में 4 बीघा 10 बिस्वा का व्ययन किया जा चुका है । अब पास में ही अन्य खसरा नंबर 296 की रिक्त भूमि, जिसके अनुक्रम में वादिया रिक्त भूतिम के बाबत् दुर्भावनापूर्वक आशय से वाद संस्थित कर, सीमाओं का विवाद बताते हुए सिवायचक बहुमूल्य सरकारी भूमि को हड़पने की गरज से यह वाद पेश किया है । बहस में आगे कथन किया कि अधी०न्याया० के समक्ष वादी ने अपने वाद में यह अभिवचन किया है कि उसने मदनगंज की खसरा संख्या 189 में से 9 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 13.1.1981 को जरिये विक्रय पत्र पदम कंवर बेवा श्यामसिंह, जाति महाजन से क्रय की थी एवं वाद के पैरा संख्या 6 में उन्होंने खसरा संख्या 189 कुल रकबा 81 बीघा 4 बिस्वा के नये खसरा नंबर 296, 297 तथा अन्य भिन्न-भिन्न खसरा होना अंकित किये एवं वाद के पैरा संख्या 7 में यह अंकित किया कि खसरा संख्या 297/1 में 9 बीघा 4 बिस्वा में प्रार्थिया का नाम खातेदारी में अंकन किया गया तथा पैरा संख्या 8 में यह अंकित किया कि खसरा संख्या 296 में उनका 2 बीघा 4 बिस्वा रकबा रहता है तथा वाद के पैरा संख्या 9 में विशिष्ट रूप से यह अंकित किया है कि खसरा संख्या 296 सीलिंग में अवाप्त होने से बिलानाम दर्ज है । वाद में यह भी अंकित किया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार खसरा



W.P. 112
अपील अधिकारी

संख्या 297/1 में से 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि को आबादी नगर परिषद दर्ज कर दिया एवं शेष 4 बीघा 14 बिस्वा का अंकन वादिया के पक्ष में दर्ज किया गया है तथा पैरा संख्या 11 में यह अंकित किया कि खसरा संख्या 296 की भूमि को प्लॉटों के रूप में बेचान व धोखाधड़ी किये जाने बाबत वादिया एवं वादिया के पुत्र विजय कुमार प्रजापत के विरुद्ध लिखित में अप्रार्थी संख्या 2 को शिकायत पेश की गई एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 3.6.2019 को नोटिस दिया जाकर वादिया के स्वामित्व व निर्माण स्वीकृति के दस्तावेज मांगे गये, दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर परिषद द्वारा कार्यवाही की जायेगी। वादिया ने अपने वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि खसरा संख्या 296 सिलिंग में अवाप्त होने से बिलानाम दर्ज है। सिलिंग में अवाप्त भूमि के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अधीन वाद अवधारणीय नहीं है क्योंकि वादिया की पूर्वाधिकारी श्रीमती पदम कंवर के विरुद्ध सिलिंग कार्यवाही के अधीन प्रकरण दर्ज हुआ था एवं उसकी अधिक जोत को अवाप्त किया गया था एवं हस्तगत प्रकरण में जो वादिया ने विक्रय विलेख दिनांक 13.1.1981 का उल्लेखित किया है वह प्रथमदृष्टया ही Rajasthan imposition of ceiling on agriculture holding rules के पश्चात्वर्ती दिनांक का था। इस परिपेक्ष्य में उपरोक्त विक्रय विलेख को प्रथम दृष्टया ही विधिमान्यता नहीं मिलती है। अन्यथा सिलिंग कार्यवाही के अधीन objection किये जाने बाबत पृथक से विधिक प्रावधान है तथा सिलिंग कार्यवाही में excess land जो खातेदारी से resume की गई हो के बाबत घोषणा का वाद संस्थित कर पुनः वाद अवधारणीय नहीं होता है। राजस्थान नगर पालिका अधि० 2009 की धारा 304 (1) में यह प्रावधान है कि नगर परिषद के विरुद्ध कोई भी वाद 2 माह का नोटिस दिये बिना अनुज्ञात नहीं है। जैसा व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 (2) में छूट का प्रावधान है, वैसा राजस्थान नगर पालिका अधि० 2009 की धारा 304 (1) में बिना नोटिस दिये वाद संस्थित किया जाना अनुज्ञात नहीं है। अतः इस परिपेक्ष्य में योग्य अधी० न्याया० ने वाद विधि से वर्जित होना मानते हुए सही रूप से खारिज किया है तथा इस पहलू पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2017 (1) डी०एन०जे० पेज 1 पर प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया प्रभावी होता है। बहस में आगे कथन किया कि वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्टतः अभिवचन किया है कि नगर परिषद किशनगढ़ द्वारा उन्हें दिनांक 6.3.2019 को स्वामित्व व निर्माण स्वीकृति कके दस्तावेज मांगे थे। इस प्रकार इस वाद का वास्तविक आशय तो नगर परिषद, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 6.3.2019 को जारी नोटिस के विरुद्ध वाद संस्थान का रहा है। Revenue court is not supposed to evoke the jurisdiction for construction in urban area without duly any construction permission इस बाबत नगर पालिका अधि० की धारा 194 विशिष्ट रूप से प्रावधान करती है। ऐसी स्थिति में अधी० न्याया० ने वादी के अभिवचन में वाद दुर्भावनायुक्त आशय से संस्थित किये जाने के आधार पर nib of the whom ही उसे समाप्त कर अनर्गल वादों को बढ़ावा दिये जाने पारित आदेश पूर्णतः विधिक है जिसमें किसी भी रूप से दखलदांजी किया जाना विधि अनुकूल नहीं है। अपीलाट ने अधी० न्याया० में जो दस्तावेज पेश किये हैं उनसे प्रथम दृष्टया खसरा संख्या 296 सिवायचक खाते संख्या 1 की भूमि होकर खसरा परिवर्तनशील के अनुक्रम में वह अतिक्रमी होना प्रमाणित है एवं अतिक्रमी कभी भी न्यायालय से वास्तविक भू-स्वामी के विरुद्ध अधिकार, घोषणा एवं आधिपत्य का अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं रहता है। खसरा संख्या 297/1 की गिरदावरी में रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा पर खातेदार के प्रतिस्वरूप अपीलाट का कब्जा होना एवं काश्त किया जाना प्रमाणित है। वादी ने वाद दुर्भावनायुक्त आशय से



राजस्थान न्यायालय अपील प्राधिकार
अजमेर

पेश किया है । खसरा संख्या 297/1 जो वादी के अधिकार, खातेदारी की भूमि है पर मकानात बने हुए है । उपरोक्त भूमि के बाबत धारा 90-बी(1) के अधीन आदेश पारित हुए है एवं इस अनुक्रम में उपरोक्त पास में सिवायचक भूमि रिक्त होने के कारण खसरा संख्या 296 में वादिया ने गलत आधार पर दोहरे भूमि का उपयोग किये जाने की दुर्भावना से यह वाद अधीन्यायालय में पेश किया था जिसे अधीन्यायालय ने विधिक आदेश पारित कर निरस्त किया है । इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1977 पेज 2421 एवं 2017 डीएनजे राज पेज 1 को उद्धरित किया । अन्त में निवेदन किया कि विवादित भूमि सिलिंग के अधीन अवाप्त की गई है, के बाबत अधिकार, घोषणा एवं अन्य अनुतोष बाबत वाद अवधारणीय नहीं है । अतः अपील अपीलांत निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अधीन्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया । प्रकरण की मुख्य विषय वस्तु यह है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा आराजी में से 7 बीघा की खातेदारी घोषणा शुद्धिकरण करके खसरा नंबर 296 ग्राम मदनगंज तहसीलदार, किशनगढ़ की जावे एवं शेष रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा खसरा नंबर 297/1 की शुद्धिकरण की जावे एवं नामांतरण संख्या 44 दिनांक 2.5.2002 को शून्य घोषित किया जावे एवं खतौनी संख्या 726 खसरा नंबर 296 ग्राम मदनगंज में शुद्धिकरण करके वादिया के नाम दर्ज किये जाने की घोषणा की जावे । उपरोक्त वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजकाशत अधीन 1955 एवं धारा 136 राजभूराजस्व अधीन 1956 के तहत पेश किया गया है जिस हेतु रेस्पो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जादी में यह उज्र लिया गया है कि वादग्रस्त आराजियात सीलिंग कार्यवाही में अवाप्त होकर बिलानाम दर्ज है एवं सीलिंग के अधीन अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकूल वाद संधारण योग्य नहीं है एवं उपरोक्त विधिक प्रावधान धारा 304 नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान की पालना नहीं किया जाना एवं सीलिंग के अधीन अवाप्त होना प्रथमदृष्टया वादी द्वारा वादपत्र में किये गये अभिवचन सहित विधिक प्रावधानों से स्पष्ट है । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया/अपीलांत ने अधीन्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजकाशत अधीन 1955 एवं धारा 136 राजभूराजस्व अधीन 1956 के तहत नगर पालिका, किशनगढ़ के विरुद्ध भी पेश किया है यद्यपि वादिया ने अपने वाद में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष ही चाहा गया है किन्तु विद्वान वकील रेस्पो ने लिखित बहस में नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 अंकित की है जिसमें यह प्रावधान है कि:- " 304- Suits against Municipality or its officers-(1) No suit shall be institutd against a Minicipality or against the Chairperson, Vice-Cahairperson, Member, officer or servant of Minicipality or against anyu person acting under the direction of any of them in respect of an act doe or purporting to have been done in its or his official capacity, until the expiration of two months next after notice thereof in writng has been, in the case of a Municipality." नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 304 के तहत नगर परिषद के विरुद्ध कोई भी वाद 2 माह का नोटिस दिये बिना अनुज्ञात नहीं है । वादिया/अपीलांत ने नगर परिषद, किशनगढ़ के



अजमेर
राजसूय अपील प्राधिकारी

विरुद्ध भी वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 एवं धारा 136 राज0भूराजस्व अधि0 के तहत संस्थित किया है जिससे धारा 304 नगर परिषद अधि0 2009 के तहत नोटिस दिया जाना आज्ञापक था । इसके बावजूद वादिया द्वारा नगर पालिका, किशनगढ़ को धारा 304 का नोटिस नहीं दिया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजियात सीलिंग की कार्यवाही में अवाप्त की जाकर बिलानाम दर्ज की गई थी तदोपरांत नगर पालिका, किशनगढ़ को आबादी हेतु हस्तांतरित की गई है । विवादित भूमि सीलिंग कार्यवाही में अवाप्त होने से वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद वादपत्र में चाहे गये अनुतोष के क्रम में अवधारणीय नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादग्रस्त भूमि सीलिंग में अवाप्त होने से तथा धारा 304 नगर पालिका अधि0 2009 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से प्रतिवादीग संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 106/2019 में पारित निर्णय दिनांक 4.6.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)

राज0भूराजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राज0भूराजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

